

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 8927
आदेश

दिनांक: 28.10.2025

विभागीय आदेश दिनांक 27.08.2025 द्वारा श्रीमती सरोज कुमारी पार्षद वार्ड नं0 17 को अध्यक्ष नगर पालिका केसरीसिंहपुर जिला-(श्रीगंगानगर) के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्ण हो तक के लिये दिया जाता है।

उक्त आदेश की निरंतरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सरोज कुमारी पार्षद वार्ड नं0 17 को नगर पालिका, केसरीसिंहपुर जिला-(श्रीगंगानगर) के अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/25/ 8928-8939 दिनांक: 28.10.2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर/जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
8. उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका केसरीसिंहपुर जिला-(श्रीगंगानगर)।
10. उपाध्यक्ष नगर पालिका केसरीसिंहपुर जिला-(श्रीगंगानगर)।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं विशिष्ट सचिव